

न्यायालय- श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा जिला द०ब० दंतेवाड़ा

(छ०ग०)

॥ संशोधन आदेश ॥

क्रमांक

/क्यू/मु०न्या०मजि०/2025

दंतेवाड़ा, दिनांक 21/04/2025

मैं श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा छ०ग० इस स्थापना के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य के सुचारु संचालन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक /क्यू/मु०न्या०मजि०/2025 दंतेवाड़ा दिनांक 01/04/2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूँ, जो कि माननीय प्रधान एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा:-

01. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रमांक 03 के पश्चात सरल क्रमांक 04 के कॉलम नम्बर 01 में न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम "सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०" और कॉलम नम्बर 04 आपराधिक कार्यविभाजन का कार्य क्षेत्र "माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना" को प्रतिस्थापित किया जाता है।

02. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "बी" के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग० के ज्ञापन क्रमांक 14754 दिनांक 08/11/2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक-15250 दिनांक 23/11/2023 के परिपालन में किये जाने वाले कार्य के लिये "सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० के अवकाश/अनुपस्थित रहने पर हर्षवर्धन जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को लिंक न्यायाधीश बनाया जाता है।

(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ०ग०)

पृ०क्र०

/क्यू/मु०न्या०मजि०/2025

दंतेवाड़ा,

दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर प्रेषित।
03. माननीय प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर प्रेषित।
04. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
05. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय नक्सल) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
06. श्रीमान जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
07. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
08. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
09. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला बीजापुर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
10. श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
11. श्री हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
12. सुश्री सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
13. जिला अभियोजन अधिकारी दक्षिण बस्तर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
14. अध्यक्ष, जिला/ तहसील अधिवक्ता संघ, दंतेवाड़ा एवं बचेली की ओर सूचनार्थ।
15. जिला आबकारी अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
16. वन संरक्षक/ परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
17. सर्व थाना प्रभारी पुलिस जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।
18. असिस्टेंट प्रोग्रामर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला न्यायालय के वेबसाईड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

स्थान- दंतेवाड़ा

दिनांक- 21/04/2025

(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

21/4/25
(विजय कुमार हाता)
सत्र न्यायाधीश
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)